पुलिस आदेश सं० ____212____/88

विभागीय कार्यवाही के संचालन के सम्बन्ध में पुलिस आदेश सं०-109, 111, 112, 115 और 116 लागू किए गए हैं । इनके अतिरिक्त विस्तृत अनुदेश बिहार पुलिस हस्तक खंड-3 परिशिष्ट 49 एवं इस कार्यालय के ज्ञापांक-8990-ए/1-1-1947 दिनांक 11-11-65 के द्वारा भी जारी किए गए हैं । इन आदेशों के क्रम में निम्नांकित पूरक आदेश दिए जाते हैं :

1. विभागीय कार्यवाही संचिका A file के साथ अलग से एक संचिका B file रखी जाएगी जिसमें सभी विविध पत्राचार एवं दीगर कागजात इस अलग संचिका में ही रखे जायेंगे ताकि मूल विभागीय कार्यवाही संचिका A file सुव्यवस्थित रहे और केवल Index/ Order sheet /बयान गवाहान/ Exhibits और रिपोर्ट/अंतिम आदेश अपील आदेश तक ही सिमित रहे । Miscellaneous और दीगर Correspondence 'B' file में रहे ।

2. अभियोजन पक्ष एवं प्रतिवादी पक्ष दोनों के प्रदर्शों को सिद्ध करने का तरीका सामान्यतः साक्ष्य अधिनियम के अनुसार होगा, यानि गवाह अभिलेख और उसकी लिखावट को देख तथा पहचान कर प्रमाणित एवं सत्यापित करेंगे । अभिलेखों पर पृष्ठांकण निम्नलिखित रूप से होना चाहिए :-

अभियोजन	प्रतिरक्षा
प्रदर्श- पी-1/2	प्रदर्श-डी1/2/3
दिनांक................. को	दिनांक.................को
पी०डब्ल्यू(अभियोजन साक्षी) द्वारा	डी०डब्ल्यू (प्रतिरक्षा साक्षी)
प्रमाणित एवं सत्यापित	द्वारा प्रमाणित एवं सत्यापित
------------------------------	------------------------------
ह०/- जाँच पदाधिकारी	ह०/- जाँच पदाधिकारी
ता:	ता:

3. रिपोर्ट/मंतव्य लिखते समय जाँच पदाधिकारी को प्रथम कंडिका में यह स्पष्ट दर्शाना चाहिए कि (1) अभियुक्त(आरोपित) पर क्या आरोप है, (2) यह कि अभियोजन का प्रकरण क्या है, (3) यह कि अभियुक्त को अभियोग(आरोप) के कौन-कौन भाग स्वीकार हैं, (4) यह कि कौन से तथ्य एवं प्रदर्श स्वतः स्वीकार्य हैं जिन्हें प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है, और (5) यह कि आरोपों को मद्दे नजर रखते हुए किन-किन विन्दुओं का आकलन आरोप को साबित करने के लिए आवश्यक है । द्वितीय कंडिका में प्रत्येक विन्दु के पक्ष तथा विपक्ष में क्या साक्ष्य है इसका तार्किक विश्लेषण करते हुए कारण के साथ निष्कर्ष साफ-साफ बताना चाहिए । ऐसा करते समय प्रत्येक गवाह का बयान अक्षरशः दोहराने के बजाय यह संकेत पर्याप्त होगा कि उस गवाह का बयान किस पृष्ठ पर है । जब सभी विन्दुओं पर विचार पूर्ण हो जाए तब तृतीय कंडिका में यह निश्चित निष्कर्ष अंकित होना चाहिए कि आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं ।

4. कृपया उपरोक्त अनुदेशों का पालन दृढ़ता से किया जाय ।

(17-ई1-9-5-87/स्था)

(ज० मो० करेशी)
महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक, बिहार,
पटना ।

राय/12988

ज्ञापांक 3162 /स्था०
17-ई1-9-5-87

महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक कार्यालय, बिहार।

पटना, दिनांक 16 सितम्बर, 1988

प्रतिलिपि:-

1)- सभी आरक्षी महानिरीक्षक/आरक्षी उप-महानिरीक्षक/आरक्षी अधीक्षक/समादेष्टा को सूचनार्थ एवं मार्ग-दर्शन हेतु ।

2)- आरक्षी मुख्यालय के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं मार्ग दर्शन हेतु ।

3)- महानि० के कार्यालय के बजट पदाधिकारी/सभी निबंधक/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं मार्ग दर्शन हेतु ।

4)- पी-2 प्रशाखा को पुलिस बजट में प्रकाशनार्थ।

16/9

आरक्षी महानिरीक्षक के सहायक (क्यू) बिहार,
पटना।

श्रीवास्तव/15.9.88